

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ राजस्थान जयपुर

क्रमांक:नर्सिंग/एनआरएचएम/09/178

दिनांक:-3/6/09

विज्ञप्ति

निदेशालय के आदेश क्रमांक-नर्सिंग/एनआरएचएम/09/160 दिनांक 18.5.09 के द्वारा एनआरएचएम योजना के तहत व्यक्तिगत अनुबन्ध के लिये चयनित अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण कराये जाने की अंतिम तिथि 8.6.09 निर्धारित की गई थी ।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर एस.बी.सि.रि.पि. संख्या 1667/09 रामनिवास बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 28.5.09 के अनुसार योजना के तहत चयनित जीएनएम की दिनांक 8.6.09 के पश्चात उपस्थिति नहीं ली जा सकेगी ।

अतः ऐसे समस्त अभ्यर्थियों, जिनका एनआरएचएम योजना के तहत व्यक्तिगत अनुबन्ध हेतु जिनका चयन हो चुका है तथा पदस्थापन स्थान का आवंटन हो चुका है तथा जिनके द्वारा अभी तक भी अपनी उपस्थिति संबंधित कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई है, को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे बिना किसी सूचना पत्र/कॉल लैटर की प्रतीक्षा किये दिनांक 8.6.09 तक संबंधित प्रशासनिक अधिकारी को अपनी उपस्थिति हर हाल में प्रस्तुत कर दें। ऐसा न करने पर, उन्हें कार्यग्रहण का अनिच्छुक मानते हुए आगामी कार्यवाही संपादित की जावेगी, जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेवार होंगे ।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

प्रभारी, सर्वर रजम निदेशालय